स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>प्रेस नोट संख्याः 339, दिनांकः 17–11–2024</u>

अपहरण करके हत्या की घटना में वांछित रूपये 1,00,000/ का पुरस्कार घोषित अभियुक्त वीर सिंह गिरफ्तार।

दिनांक 17–11–2024 को एसटीएफ उ0प्र0 को अपहरण कर जान से मारने की घटना के सम्बन्ध में थाना जरिया, जनपद हमीरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 242/2024 धारा 140(1)/109/352/351(2)/ 351(3)/103(1) बीएनएस में वांछित रूपये 1,00,000/ का पुरस्कार घोषित अभियुक्त वीर सिंह को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–</u>

1– वीर सिंह पुत्र राम प्रसाद निवासी जरिरायपुर, थाना राजपुर, जनपद–कानपुर देहात।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक, समयः–</u>

ग्राम जरिरायपुर, थाना क्षेत्र राजपुर जनपद कानपुर देहात। दिनांक 17–11–2024 समय 14.20 बजे

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। श्री दिनेश कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलित की जा रही थी।

उ0नि अमित कुमार तिवारी के नेतृत्व में मु0आ0 अमित कुमार सिंह, आलोक पाण्डेय, स्वरूप पाण्डेय कमाण्डो राममगन की टीम अभिसूचना संकलन के क्रम में जनपद कानपुर देहात में भ्रमणशील थी। इस दौरान विश्वनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 21–09–2024 को जनपद हमीरपुर में अपहरण करके हत्या की घटना में शामिल रू0 एक लाख का पुरस्कार घोषित अभियुक्त वीर सिंह वांछित चल रहा है, जो अपने गॉव आने वाला है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा ग्राम जरिरायपुर, थाना क्षेत्र राजपुर जनपद कानपुर देहात से वांछित अभियुक्त वीर सिंह को आवश्यक बल प्रयोग करके गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि इसके साथी चतुर सिंह उर्फ चतुरभुज सिंह को धर्मेन्द्र यादव ने अपनी बहन श्रीमती अमन की हत्या करने के लिए 10 लाख रूपये दिया था। इसके उपरान्त चतुर सिंह ने इसे घटना को अंजाम देने के लिए तैयार किया, जिसके एवज में 02 लाख रूपये इसे मिलना था। चतुर सिंह, वीर सिंह व कल्लू यादव ने मिलकर श्रीमती अमन का उसके 02 बच्चों के साथ अपहरण कर लिया था। जिसके बाद श्रीमती अमन की हत्या कर दिये तथा उसके दोनो बच्चो को जंगल मे फेक दिये थे। इस घटना के उपरान्त इधर उधर छिपकर रह रहा था।

उक्त घटना के मुख्य साजिशकर्ता एवं एक लाख रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त चतुर सिंह उर्फ चतुरभुज सिंह को दिनांक 14—11—2024 को एसटीएफ टीम द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना जरिया, जनपद हमीरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 242/2024 धारा 140(1)/109/352/351(2)/ 351(3)/103(1) बीएनएस में दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>अभियुक्त वीर सिंह का ज्ञात अपराधिक इतिहास–</u>

1 मु0अ0सं0 79/2003 धारा 324, 506 भादवि थाना राजपुर कानपुर देहात।
2 मु0अ0सं0 80/2003 धारा 307 भादवि थाना राजपुर कानपुर देहात।
3 मु0अ0सं0 81/2003 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना राजपुर कानपुर देहात।
4 मु0अ0सं0 10/2005 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना राजपुर कानपुर देहात।
5 मु0अ0सं0 229/2017 धारा 147, 148, 149, 332, 353, 427, 436 भादवि थाना राजपुर कानपुर देहात।